भारत में महिलाओं की स्थिति
पिछले दशक का अनुभव
(2014-2024)

एडवा प्रकाशन

समानता और मुक्ति के लिए महिलाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिये एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार का निर्माण करने की ओर

हम, भारत की महिलाएं, 2024 में होने वाले 18वें आम चुनावों को देश की सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों के सामने एक चुनौती के के साथ साथ पिछले दस वर्षों में भाजपा–आरएसएस सरकार द्वारा शुरू की गई हिंसा, भय, भूख और बेरोजगारी के दुःस्वप्न शासन को हटाने का अवसर भी मानती हैं। हमारे संविधान के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय ताने–बाने और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले समाज के सभी हिस्सों की समानता और मुक्ति के सपनों को नष्ट करने की अपनी सोची–समझी नीति का सामना करते हुए, एडवा सभी महिलाओं से आग्रह करती है कि वे इस सरकार को उसके कुशासन के खिलाफ एकजुट होकर हराएं।

इस सरकार को घेरने वाला सबसे नवीनतम घोटाला चुनावी बॉन्ड के खुलासे का है, जो स्पष्ट रूप से इसकी बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, बदले और भ्रष्टाचार को उजागर करता है।

यह वह बेहतर समय है जब हम उन टूटे वादों की सूची को याद करें और बड़े आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नुकसान की समीक्षा करें जो इस शासन ने हमसे किये थे। हम मुख्य रूप से महिलाओं पर भाजपा सरकार की नीतियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ते खतरे, भूख और कुपोषण की छाया, बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ मूल्य वृद्धि, बढ़ते सांप्रदायिक और जातिवादी हमले, और महिलाओं, विशेषकर बालिकाओं के खिलाफ हिंसा और क्रूरता में खतरनाक वृद्धि के रूप में देखा जाता है।

भाजपा सरकार ने भारत की महिलाओं को विफल कर दिया है। यह पुस्तिका महिलाओं के जीवन और आजीविका पर भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासन के प्रभाव को उजागर करती है।

हम डॉ. अर्चना प्रसाद, कृति एस. और सुरंग्या कौर के आभारी हैं जिनकी मूल्यवान मदद इस पुस्तिका को प्रकाशित करने में बहुत उपयोगी रही। हम संध्या शैली को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तिका का हिंदी में अनुवाद किया है।

पी के श्रीमति
अध्यक्ष

मरियम ढवले
महासचिव

अनुक्रम

एक – वादे और उपलब्धियां

दो – एक अर्थव्यवस्था जो अपने लोगों को विफल करती है :
- नवउदारवाद के प्रभाव
- बढ़ती बेरोजगारी और अवैतनिक काम
- कृषि संकट और उसका प्रभाव
- महिलाओं को भूमि अधिकारों से वंचित करना
- बढ़ती कीमतें
- एमएफआई और ऋणग्रस्तता

तीन – कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बदलते हुये नियमों को
- फिर से तैयार करना
- खाद्य सुरक्षा और पोशण
- मनरेगा पर हमला
- महिलाओं के स्वास्थ्य की अनदेखी
- शिक्षा

चार – महिलाओं के अधिकारों को लक्षित करना
- नागरिकों के रूप में महिलाओं के अधिकारों पर हमले और कानूनों का कमजोर पड़ना
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार
- सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा

वादे और उपलब्धियां

भाजपा 2014 और 2019 के अपने घोषणापत्रों में खुद को महिला हितैषी के रूप में पेश करती रही है। जैसा कि 2024 के चुनावों के वादे किए जा रहे हैं, यह रिपोर्ट इस बात पर गौर करती है कि मोदी सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में महिलाओं का जीवन कैसे बदल गया है, और क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। 2019 के चुनाव अभियानों के दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जन धन, उज्ज्वला और स्वच्छ भारत योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक जीवन हासिल कर लिया है। 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किये गये वादे भी कम नहीं थे।

कुछ प्रमुख वादे थे :

- महिलाओं का वित्तीय समावेशन
- महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
- तीन तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार
- सरकार की 10 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई के माध्यम से की जाएगी जिसमें

50 प्रतिशत महिला कर्मचारी होंगी।

- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी उद्यमों में शिशु गृह खोले जाएंगे।

इस पुस्तिका के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे भाजपा सरकार न केवल इन वादों को पूरा करने में विफल रही है, बल्कि इसने देश भर में महिलाओं की स्थिति को भी खराब कर दिया है।

नव–उदारवाद के प्रभाव

पिछला दशक भारतीय महिलाओं के सामने आने वाले आर्थिक संकट में महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के दावों के बावजूद, विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे खराब लैंगिक अनुपातों के देशों में भारत एक है। मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नवउदारवादी नीतियां पूरी तरह से कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाभ के लिए और हमारी आबादी के विशाल बहुमत की कीमत पर लागू की गयी हैं।

लैंगिक अंतर सूचकांक : भारत का प्रदर्शन पिछले दस वर्षों में

वर्ष	2014	2018	2022
सर्वेक्षण किए गए देशों की संख्या	142	149	146
समग्र रैंक	114	108	135
आर्थिक सशक्तिकरण और भागीदारी	134	142	143
शैक्षणिक योग्यता	126	114	107
स्वास्थ्य और जीवनप्रत्याशा	141	147	146
राजनीतिक सशक्तिकरण	15	19	48

भारत में, आज, केवल 15 कॉर्पोरेट घराने 90 प्रतिशत लाभ को नियंत्रित करते हैं। अडानी और अंबानी जैसे इजारेदार कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा हर साल 15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ गया है खासकर महामारी के दौरान और बाद में। कॉर्पोरेट्स ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में मुनाफे में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि 84 प्रतिशत परिवारों ने अपनी आय में गिरावट देखी।

इस बढ़ती असमानता के बावजूद, राज्य का अपने कल्याणकारी कार्यों से पीछे हटना जारी है। 2014 के बाद से, सरकारी खर्च की राशि पहले की तुलना

अमीर और अमीर होते जा रहे हैं

2020 में भारत में खरबपतियों की संख्या 102 थी जोकि 2022 में बढ़कर 166 हो गई है और भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की कुल धन–दौलत 54.12 लाख करोड़ हो गई है। सबसे अधिक 10 अमीर व्यक्तियों की कुल संपत्ति 27.52 लाख करोड़ जोकि 2021 की तुलना में 32.8 प्रतिशत अधिक है।

में बहुत कम हो गयी है। 2017–18 में, केंद्र सरकार का कुल व्यय 12.5 प्रतिशत था, यानी 2013–14 में व्यय की तुलना में लगभग 1.5 प्रतिशत कम था। महामारी के दौरान यह अनुपात थोड़ा बढ़ा लेकिन 15 प्रतिशत से नीचे रहा। यह वृद्धि भी मुख्य रूप से कॉरपोरेट्स को बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिये और और दी गयी सब्सिडी के कारण थी न कि मजदूरों, कर्मचारियों और महिलाओं को दी गयी सहायता के कारण। विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी विनाशकारी नीतियों ने गरीब और हाशिए के वर्गों की स्थिति को बदतर कर दिया है। महिलाओं को विषेश रूप से संकट का खामियाजा भुगतना पड़ा है।

बढ़ती बेरोजगारी और अवैतनिक काम

महिला कार्यबल योजना बनाने का मोदी सरकार का वादा विफल हो गया है।

- 2017–2018 में, भारत को पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ा। इस बढ़ी हुयी बेरोजगारी के पीछे का तथ्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कार्यबल से बाहर धकेला जाना था।
- एनएसएसओ के अनुसार, 2017–18 में लगभग 40 लाख महिलाओं को काम से बाहर कर दिया गया और उन्हें घर पर रहना पड़ा।
- सीएमआईई के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 तक 8.8 करोड़ महिलाएं काम करने को तैयार थीं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी।
- विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान, लगभग 1 करोड़ नौकरियां चली गईं। अनुमान है कि इनमें से 88 लाख महिलाओं की नौकरियां थीं।
- 50 प्रतिशत महिला श्रमिकों के साथ एमएसएमई को 10 प्रतिशत अनुबंध का वादा दिन की रोशनी में नहीं देखा गया है।
- जीएसटी और नोटबंदी के कारण छोटे कारोबार भी बंद हो गए, जो कोविड लॉकडाउन की अवधि में और खराब हो गए। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिकों में से एक तिहाई महिलाएं हैं।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की दर

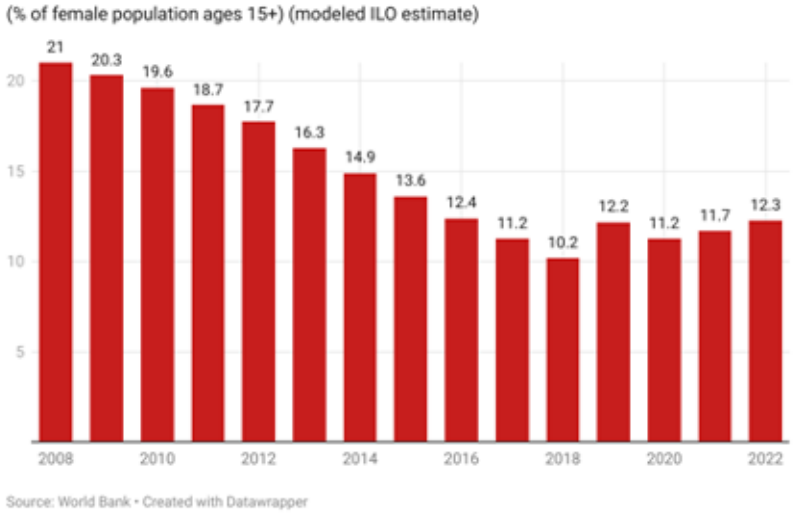

- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2021 के बीच दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के द्वारा की गयी आत्महत्याओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुयी है। पुरुष श्रमिकों द्वारा की आत्महत्या में 170 प्रतिशत और महिला श्रमिकों द्वारा की आत्महत्या में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

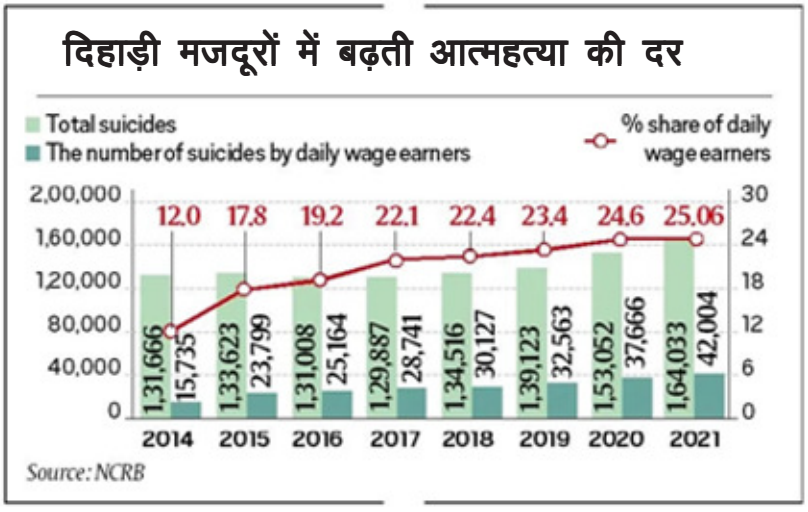

नौकरियों के सृजन के माध्यम से कुछ राहत प्रदान करने के बजाय, सरकार ने चार श्रम संहिताओं को पारित किया जिससे नौकरी की सुरक्षा और कम हो गयी है। भारत में रोजगार के क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अनौपचारिक श्रम के रूप में काम करती हैं और इन श्रम संहिताओं के पारित होने से उन्हें श्रमिक के तौर पर मान्यता या सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलेगा जिसके लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रमों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों, स्वास्थ्य, बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में ठेका योजना श्रमिकों की मूल मांगें – नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन 26000 रुपये – को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि ई श्रम पोर्टल कई महिला घरेलू, मनरेगा और घर आधारित श्रमिकों को पंजीकृत करने का दावा करता है, लेकिन यह उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान नहीं करता है। महिलाएं केवल मौजूदा पेंशन योजनाओं के लिए पंजीकरण कर सकती हैं जो उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद लाभ देगी।

कृषि संकट और महिलाओं पर इसका प्रभाव

रोजगार के अवसरों की कमी कृषि क्षेत्र में संकट से बदतर हो गई है। किसानों को संकट से निकालने में मदद करने के बजाय, सरकार ने किसान फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया जिसने किसानों को धोखा दिया। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दिये गये आवेदनों को ठीक से संसाधित नहीं किया गया जिससे केवल एक तिहाई किसानों को मुआवजा मिल पाया था। कैग के अनुसार, पहले साल में ही 84 लाख किसानों ने योजना से अपने आप को अलग कर लिया क्योंकि वे प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे।

किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर, मोदी सरकार ने कृषि के निगमीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, विशेष रूप से कृषि अधोसंरचना निधि में, जहां अडानी और अंबानी जैसे दो बड़े कारपोरेट प्रमुख खिलाड़ी हैं। इससे किसानों और कृषि श्रमिकों, जिनमें से कई महिलाएं हैं, की तकलीफें बढ़ गयी हैं।

कृषि संकट के संकेतक हैं :

- मोदी शासन के पहले तीन वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और लगभग 12000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं।
- 2019 में, दो तिहाई से अधिक आत्महत्याएं भाजपा शासित राज्यों में हुईं। इन किसानों और खेत मजदूरों की विधवाओं को सहायता देने के लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

- 2013 और 2019 के बीच, एनएसएसओ डेटाबेस से पता चलता है कि एक किसान परिवार का वार्षिक ऋण लगभग 2013 और 2019 के बीच लगभग 47000 रुपये से बढकर 78000 रुपये हो गया। छोटे किसानों के लिए, वार्षिक ऋण एक लाख से अधिक हो सकता है।

महिलाओं को भूमि अधिकारों से वंचित करना

महिलाओं को कृषि की सहायता वाली कई योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें किसानों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और उनके पास न तो भूमि का अधिकार है न ही भूमि पर उनका नियंत्रण है। महिलाएं जंगल और आम भूमि से जलाऊ लकड़ी और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो विशेष रूप से संकट की अवधि में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले सामाजिक हिस्से की आजीविका को बनाए रखती हैं।

हालांकि, एनडीए सरकार की नीतियों ने सार्वजनिक भूमि के निजीकरण, वन अधिकार अधिनियम के लागू न होने और कृषि में उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण भूमि कब्जाने की एक नई लहर पैदा कर दी है। कई मामलों में, छोटी और सीमांत महिला किसान अमीर किसानों और जमींदारों से अनुबंध खेती के लिए उसी भूमि को पट्टे पर लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जो शायद, उनके परिवारों के पास कभी हुआ करती थी।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, खान और खनिज संशोधन अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन नियमों में केंद्र सरकार के बदलावों ने सभी आम और सार्वजनिक भूमि को कारपोरेटों द्वारा भूमि हड़पने के लिए खोल दिया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत 30 प्रतिशत से अधिक दावे खारिज कर दिए गए हैं। 2017 और 2021 के बीच, 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को पहले ही बड़ी परियोजनाओं के लिए दे दिया गया है, जिससे आदिवासी परिवारों को भूमि का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों की लक्षित बेदखली हुई है, जहां मुस्लिम महिलाओं को विस्थापित और बेसहारा छोड़ दिया गया है।

मूल्य वृद्धि

वर्तमान मोदी सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के कारण रोजगार और आय के नुकसान के साथ–साथ बढ़ती कीमतें भी हुई हैं। अमीरों पर कर लगाने के बजाय, यह अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाकर गरीबों पर कर लगा रहा है। इसके अलावा, इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम के कई हिस्सों को या तो कमजोर कर दिया है या फिर बदल दिया है जिससे जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को अनुमति दे दी गयी है।

IN 2020-21, THE PROJECTED REVENUE FOREGONE OF THE GOVERNMENT IN THE FORM OF INCENTIVES AND TAX EXEMPTIONS TO CORPORATES IS INR 1,03,285.54 CRORE,[86]

बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि : पिछले दस वर्षों में, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अनाज की कीमतों में 24 प्रतिशत, गेहूं के आटे में 28 प्रतिशत, दालों में 20–30 प्रतिशत, मूंगफली के तेल में 42 प्रतिशत, सरसों के तेल में 71 प्रतिशत, वनस्पति में 112 प्रतिशत, सूरजमुखी और पाम तेल में 101–128 प्रतिशत, आलू में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्याज 69 फीसदी और टमाटर 115 फीसदी बढ़ा है। इस अनाप शनाप वृद्धि के पीछे अन्य कई कारकों सहित राशन प्रणाली का कमजोर किया जाना भी है।

ईंधन की कीमतों में वृद्धि : मोदी सरकार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के संबंध में रिकॉर्ड स्थापित किया है। जब 2014 और 2021 के बीच कच्चे तेल की आयात कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की गिरावट आई, तो मोदी सरकार ने

भारतीय बाजार के भीतर कीमत को गिरने नहीं दिया। इसके बजाय, इसने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 250 प्रतिशत से अधिक और डीजल पर 820 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। 2014 में, डीजल और पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 4 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर था। 2021 तक यह डीजल के लिए 31.80 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के लिए 32.90 रुपये हो गया है। पेट्रोल और डीजल से सरकारी राजस्व में 277 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें से राज्य सरकारों को केवल 32 प्रतिशत मिला, और 68 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा हड़प लिया गया। आज आम नागरिक ईंधन की जो कीमतें चुकाती हैं, उसका 65 प्रतिशत टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। सरकार अपनी कुल आय का 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क से सिर्फ टैक्स में बढ़ोतरी करके कमाती है।

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि : एक ओर दिखाया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से महिलाओं को रसोई गैस पर राहत मिल रही है, वास्तव में यह योजना केवल कनेक्शन प्रदान करती है और इसके बाद कोई मदद नहीं करती है। सब्सिडी लगभग शून्य हो गई है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2014 में 414 रुपये से बढ़कर 2022 में 1200 रुपये हो गई है – लगभग तीन गुना ! 2023 में चुनावों से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने 200 रुपये की छूट की घोषणा की, जिससे कीमत लगभग 910–950 रुपये हो गई। यह पहले की अवधि से 120 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ जहां एक ही दिन में सब्सिडी दरों पर कई सिलेंडर खरीदने के लिए 2.98 लाख जालसाजी वाले कनेक्शनों का इस्तेमाल किया गया था। एलपीजी की कालाबाजारी जारी है, जबकि महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफआई) और ऋणग्रस्तता

बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के साथ साथ कोविड 19 के लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने से कई परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों के प्रबंधन के लिए कर्ज लेने के लिये मजबूर हो गये हैं। एडवा सहित अन्य कई संगठनों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गरीब परिवारों में ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ रही है। इनमें से ज्यादातर कर्ज निजी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और बैंकिंग कंपनियों से लिए गए हैं।

मोदी सरकार ने 3 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले और दावा किया कि 2014–2022 के बीच महिलाओं के स्वामित्व वाले खातों का प्रतिशत 43 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इससे अधिकांश आबादी के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि ग्लोबल फाइनेक्स इंडेक्स 2021 दिखाता है, इनमें से कई खातों में कोई जमा राशि नहीं थी। कम से कम 43 प्रतिशत महिलाओं के खाते निष्क्रिय थे।

मोदी सरकार ने यह भी दावा किया कि मुद्रा ऋण महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ता ऋण दे रहा है। 2014–2021 के बीच महिलाओं द्वारा रखे गए मुद्रा खातों का प्रतिशत 76 प्रतिशत से घटकर लगभग 70 प्रतिशत हो गया, और औसत ऋण राशि 47000 से 49000 रुपये के बीच थी। 2022 में, 59 प्रतिशत से अधिक ऋण निजी क्षेत्र के लघु वित्त बैंकों से लिये गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने केवल 15 प्रतिशत ऋण दिया।

निजी क्षेत्र की बैंकिंग कंपनियों और एमएफआई को केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत ऋण निजी बैंकों और एमएफआई को दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएफआई को सस्ते ऋण 2014–2022 के बीच 60 प्रतिशत तक बढ़ गए। एमएफआई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, 4–5 प्रतिशत की ब्याज दरों पर ऋण के रूप में दिया जा रहा था, जबकि वही एम एफ आई महिलाओं को 20–36 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रही थी। सरकार ने ब्याज दरों पर एक सीमा लगाने से भी इनकार कर दिया। ज्यादातर मामलों में एमएफआई द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें 20 प्रतिशत से ऊपर थीं और यहां तक कि 36 प्रतिशत या उससे अधिक तक भी जाएंगी।

महिलाओं से अतिरिक्त शुल्क लेकर भी उन्हें परेशान किया जाता है क्योंकि वे अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं। उनमें से कई ने एक से अधिक एमएफआई से उधार लिया है। महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपने घरेलू सामान को बेचने के लिए मजबूर किया गया है। उनमें से कुछ ने आत्महत्या कर तक ली है।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शर्तों को बदलना

हर साल सरकार एक जेंडर बजट तैयार करती है जो महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2014 और 2023 के बीच इस मद के तहत आवंटन कुल व्यय का लगभग 5 प्रतिशत और कुल सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से भी कम रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से काफी कम रहा।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री : गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर खर्च, जैसे बलात्कार पीड़ितों के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, महिलाओं के लिए आश्रय गृह आदि, बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इस सरकार के दो कार्यकाल के दौरान इन योजनाओं पर केंद्रीय व्यय कुल बजट के 0.05 प्रतिशत से भी कम रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि भाजपा–आरएसएस के नेतृत्व वाली सरकार ने वादा किया था कि वह बलात्कार पीड़ितों के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर शुरू करने के लिए पैसा खर्च करेगी। विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन देने वाले राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के लिए आवंटन में भी भारी कटौती देखी गई है। उल्लेखनीय मुद्रास्फीति के बावजूद विधवा पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं की गई है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण

2014 में, भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 63 वें स्थान पर था और यह स्थिति 2021 में घटकर 101 हो गई और 2023 तक, भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। भुखमरी से होने वाली मौतों की खबर, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, 2016 के बाद से ही सामने आने लगीं। यह स्थिति मोदी सरकार की नीति का सीधा परिणाम है।

पीडीएस को सोचे समझे ढंग से कमजोर किया गया है :

- हालांकि लक्षित पीडीएस प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू हुई थी, लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने अंत्योदय कार्डों की संख्या सीमित कर दी थी।
- राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से बड़ी संख्या में कार्ड ऐसे समय में रद्द हो रहे हैं जब भुखमरी बढ़ रही है।
- डिजिटलीकरण और ऑनलाइन वन नेशन, वन राशन कार्ड सिस्टम ने भी महिलाओं को बाहर कर दिया है, जिनमें से कई को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए बिचौलियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अप्रैल 2022 में पांच राज्यों के डालबर्ग के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन लोगों ने अपने कार्ड को अपडेट करने की कोशिश की, उनमें से 59 प्रतिशत असफल रहे।
- पोर्टेबल कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करने वाले अधिकांश प्रवासियों में प्रमाणीकरण विफलता थी। दूसरे शब्दों में, ओएनओआरसी योजना सफल नहीं है क्योंकि यह केवल उस मौजूदा प्रणाली को डिजिटल बनाती है जो अधिक से अधिक कार्ड धारकों को प्रणाली से अलग कर रही हो। और राशन कार्ड के कवरेज का विस्तार नहीं करती है।
- पिछले 5 वर्षों में पीडीएस के लिए केंद्र सरकार की सहायता में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

मोदी सरकार के पहले के वर्षों में, परिवारों को आपूर्ति किए जाने वाले अनाज की मात्रा 35 किलोग्राम प्रति परिवार से घटकर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई थी। इसके अलावा पांच किलो अतिरिक्त लोगों को सब्सिडी वाले दाम पर उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन महामारी के दौरान, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के नाम पर, मोदी सरकार ने पीडीएस प्रणाली के तहत 5 किलो सब्सिडी वाले अनाज का वितरण बंद कर दिया। एक हलफनामे के अनुसार, 2013 और 2021 के बीच 4 करोड़ से अधिक राषन कार्ड रद्द किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में ही 1.9 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। केंद्र सरकार ने विपक्ष शासित राज्य सरकारों को पर्याप्त खाद्यान्न हस्तांतरित करना भी बंद कर दिया।

एनएफएसए गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण के लिए 6000 रुपये का मातृत्व लाभ अनिवार्य करता है। लेकिन सरकार ने इसे पहले बच्चे तक सीमित कर दिया है। इस प्रावधान को लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। राशन की दुकानों की संख्या में कमी आई है और जो दुकानें चलती हैं वे भी नियमित रूप से नहीं खुलती हैं या खाद्यान्नों की कालाबाजारी हो रही है। बढ़ती भुखमरी के बीच भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भंडारण का अनाज कारपोरेट्स को बेचने के लिये मजबूर किया जा रहा है ताकि कारपोरेट्स जैव ईंधन के लिए इथेनॉल बना सके।

भारत में, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बढ़ते कुपोषण से निपटने के लिए आवश्यक हैं। 2016–2020 के बीच, 36 राज्यों के 707 जिलों में से 341 में 0–5 वर्ष की आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण बढ़ गया। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले 2016 और 2021 के बीच 4.1 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

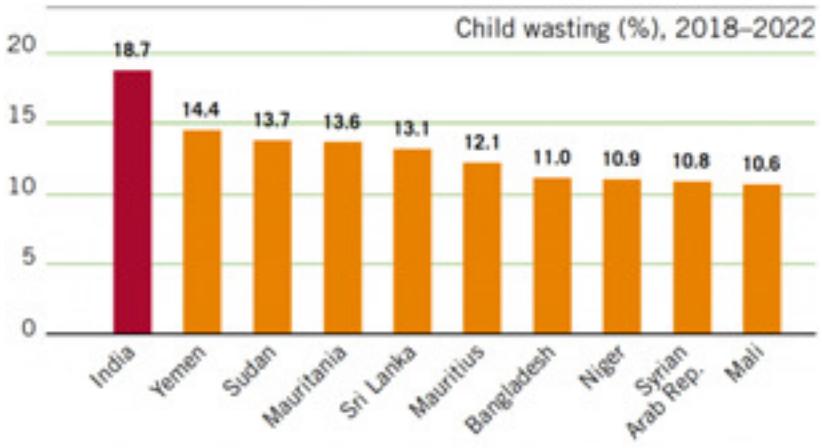

कुपोषण की बढ़ती चिंताओं के बावजूद, आईसीडीएस और मिड–डे मील योजनाओं को पीएम पोषण कार्यक्रम में मिला दिया गया है और उनके केंद्रीय आवंटन में भारी कटौती की गई है। 2015–2016 में आवंटन में 33 फीसदी की कटौती हुई थी। तब से, 40 प्रतिशत की कटौती हुई है। केंद्र सरकार अब केवल कार्यक्रम में पूंजीगत लागत का भुगतान कर रही है और अन्य सभी खर्चों को राज्य सरकारों पर छोड़ रही है।

2016 में, सरकार ने आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 4000 ''अगली पीढ़ी'' के आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित और आधुनिक बनाने के लिए 2016 में केयर्न इंडिया लिमिटेड (बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता की सहायक कंपनी) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन केंद्रों को ''नंदघर'' नाम दिया जाना है और दिन के कुछ हिस्से में आंगनवाड़ी के रूप में और फिर ''महिलाओं के कौशल विकास केंद्र'' के रूप में चलाया जाएगा। ऐसा लगता है कि 2 लाख स्मार्ट आंगनवाड़ियों को बनाने का लक्ष्य आईसीडीएस के निगमीकरण के इस मॉडल पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में पहले से तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र जैसे कॉरपोरेट से बने एनजीओ से अनुबंध किया है। सरकार गर्म पके हुए भोजन के बजाय प्री–पैकेज्ड और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों पर जोर दे रही है। इससे न केवल बड़े खाद्य प्रदाताओं और कॉर्पोरेट समर्थित गैर सरकारी संगठनों को मदद मिलेगी, बल्कि ये भोजन कम पौष्टिक भी हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली लाखों

महिलाओं पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

एक करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं व मध्याह्न कार्यकर्ताओं की नौकरियां भी दांव पर हैं। कई विरोधों के बाद, भाजपा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के वेतन में 50 प्रतिशत वृद्धि का वादा किया था। लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया है और उनके मानदेयों को राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बना दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दिए जाने की उनकी मुख्य मांग को पूरा करने के लिए अनिच्छुक है। इसके बजाय, सरकार पूरे सिस्टम को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

मनरेगा पर हमला

मनरेगा ऑफ सीजन में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका महत्व कोविड काल में देखा गया जब लॉकडाउन अवधि के दौरान अचानक काम न होने का संकट था। महिला श्रमिक मनरेगा के काम के आधे से अधिक लाभार्थी हैं। कुछ राज्यों में लगभग दो तिहाई आवेदक महिलाएं हैं, और गंभीर रोजगार संकट के मद्देनजर, योजना के तहत अधिक से अधिक काम की मांग जारी है।

हालांकि, मोदी सरकार के कार्यकाल में, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा के काम के दिनों की औसत संख्या कम हो रही है।

- 2013 में, एक परिवार के दिनों की औसत संख्या 60 से थोड़ी ऊपर थी।
- 2014–2021 के बीच यह घटकर 40 दिनों से भी कम का काम रह गया है।
- अगस्त 2022 और मार्च 2023 के बीच, औसत व्यक्ति के काम के दिन लगभग 30 दिन थे।

यह काफी हद तक इसलिए भी है क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार ने इस योजना को खत्म करने का फैसला ले लिया है और योजना के लिए बजटीय आवंटन में वास्तविक रूप से भारी कटौती कर दी गई है। अगस्त 2023 तक, अधिकांश राज्यों ने योजना के लिए 91 प्रतिशत धनराशि समाप्त कर दी थी। उनका खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवंटन से अधिक है। केंद्र सरकार पर 18 राज्यों का 6000 करोड़ रुपये से अधिक और 30 राज्यों पर 6000 करोड़ रुपये

से अधिक का बकाया है (हिंदू, 2 अगस्त 2023)। इस वजह से, महिलाओं को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है। कई को महीनों से भुगतान नहीं मिला है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा पांच राज्यों में किये गये मनरेगा श्रमिकों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2.6 करोड़ श्रमिकों में से 41.1 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान प्रणाली के लिए पात्र नहीं हैं जो 31 अगस्त 2023 से अनिवार्य हो गई है। यह योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को कम करने का एक तरीका है। महिलाओं को काम पाने के लिए उपस्थिति ऐप का उपयोग करना आवश्यक है। कई राज्यों में यह काम नहीं कर रहा है।

महिलाओं के स्वास्थ्य की अनदेखी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिषत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन, इस सरकार के तहत स्वास्थ्य पर खर्च 1 फीसदी के आसपास ही रह गया है।

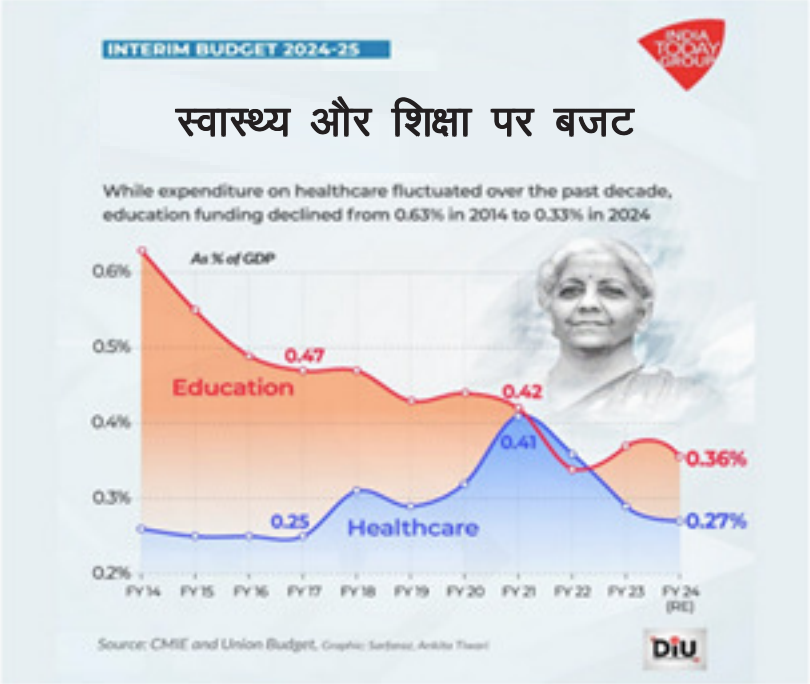

यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य सेवाओं में 70 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी महिलाएं हैं। महामारी के दौरान उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय थी। लगभग 10.52 लाख आशा कार्यकर्ता भी हैं जो फ्रंटलाइन पर काम करती हैं और देश के दूरस्थ हिस्सों को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे से जोड़ती हैं। उन्हें ''सामुदायिक स्वयंसेवक'' करार दिया गया है और उन्हें श्रमिकों के रूप में मान्यता देने की उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। सरकार का यह तरीका स्वास्थ्य प्रणाली में रिक्तियों के बावजूद, मौजूदा श्रमिकों पर काम का बोझ बढ़ा रहा है। 2023 तक, महिला नियमित नर्सिंग स्टाफ की संख्या में 25 प्रतिशत और पुरुष और महिला स्वास्थ्य सहायकों में 74.1 प्रतिशत की कमी आई है।

2019 तक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम और मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य बजट में लगभग 30 प्रतिशत की कटौती देखी गई। आरसीएच कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मिला दिया गया है, जिसमें बजटीय कटौती भी देखी गई है। मातृत्व लाभ योजना को मिशन शक्ति में मिला दिया गया और 2022–2023 तक बजट में कम से कम 20 प्रतिशत की कटौती देखी गई।

इसका साफ मतलब है कि सरकार स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाता है। सीएजी ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है। उदाहरण के लिए, 7.5 लाख आयुष्मान भारत खातों को एक ही नंबर से जोड़ा गया है। खुद केंद्र सरकार ने 2023 में 286 करोड़ की धोखाधड़ी का पता लगाया था।

शिक्षा

शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग एक दिवास्वप्न है। मोदी सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत से भी कम खर्च कर रही है। 2018 और 2023 के बीच यह अनुपात 0.46 प्रतिशत से घटकर 0.37 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) 2020 के कार्यान्वयन ने शिक्षा के निजीकरण और सांप्रदायीकरण को बढ़ावा दिया है। कई राज्यों में, एनईपी के तहत युक्तिकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को विलय कर दिया गया है। पूरे देश में लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह बताया गया है कि एक तिहाई लड़कियां

शिक्षा पर खर्च में कमी

The chart shows the budgetary allocation for education as a share of total expenditure. Allocation for the sector declined from 10.4% in FY16 to 9.5% in FY23

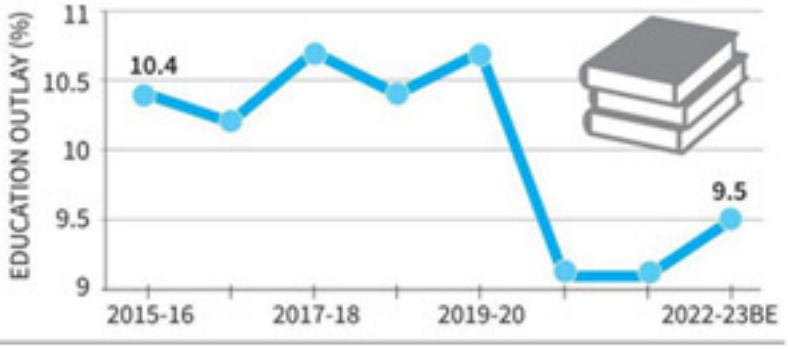

स्कूल में दाखिला नहीं ले रही हैं। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने से और अधिक ड्रॉपआउट हुए हैं।

उच्च शिक्षा में, बोर्ड परीक्षा और बीए पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ा दी गई है और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की लड़कियां सार्वजनिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति रोक दी गई है।

इस भाजपा–आरएसएस शासन के तहत, बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा पर हमला किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं को निशाना बनाना विशेष रूप से कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में स्पष्ट था। गरिमा, समानता, पसंद की स्वतंत्रता और अपने शरीर के अधिकार के लिए महिलाओं के जाति–विरोधी आंदोलनों और आंदोलनों के संदर्भों को हटाने के लिए पाठ्यपुस्तकों को बदल दिया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने पाठ्यपुस्तकों को मनुवादी उन्मुखीकरण देने का मार्ग प्रशस्त किया। पितृसत्तात्मक हिंदुत्व राष्ट्र के विचार का प्रचार करने के लिए मनुस्मृति पर परियोजनाओं और शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीकों और मूल्यों पर सीधा हमला हो रहा है और शिक्षा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने की कोशिशें बढ़ रही हैं। केरल में एलडीएफ सरकार ने अपनी स्कूली प्रणाली में इन छेड़छाड़ की गई पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने से इनकार कर दिया है।

महिलाओं के अधिकारों को लक्षित करना

महिला आंदोलन पिछले 27 वर्षों से नियमित विरोध प्रदर्शनों और ज्ञापनों के माध्यम से महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने और बिल के समर्थन में एक बड़ी सहमति बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस सरकार ने आखिरकार 19 सितंबर 2023 को ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' (महिला आरक्षण विधेयक का नया नाम) पारित कर दिया है। फिर भी, यह एक तमाशा बना हुआ है और 2024 के आम चुनावों के दौरान इसे लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ने बिल को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ दिया है, जिसे पूरा होने में आसानी से 10 साल लग सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में भाजपा सरकार की निष्ठाहीनता बिल्कुल साफ है। सत्ता में पिछले 10 वर्षों में, सरकार ने इस विधेयक को पारित नहीं किया। चुनावी लाभ के लिए महिला मतदाताओं का शोषण करने के एक सनकी प्रयास में, इसने इसे 2024 में आम चुनावों से कुछ महीने दूर लाने का फैसला किया, और वह भी इस तरह से कि इसे लागू नहीं किया जा सके।

नागरिकों के रूप में महिलाओं के अधिकारों पर हमले और कानूनों का कमजोर पड़ना

सामाजिक रूढ़िवाद के पुनरुत्थान और हिंदुत्व ब्रिगेड के लिए राजनीतिक समर्थन ने महिलाओं के नागरिकता अधिकारों को कमजोर करने और हिंसा के खिलाफ उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों को कमजोर करने की दिशा में प्रेरित किया है। कानूनी परिवर्तन संवैधानिक गारंटी और जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कमजोर करते हैं।

नागरिकता अधिनियम में संशोधन की शुरूआत और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए जल्दबाजी अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से उनके भीतर कमजोर वर्गों के लिए खतरा है। व्यापक सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन जहां महिलाएं सबसे आगे खड़ी थीं, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। पहले से ही, असम में एन.आर.सी. के निर्माण के परिणामस्वरूप कई महिलाओं को बाहर कर दिया गया जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। पूरे बोर्ड में प्रतिरोध के बावजूद, 2024 के आम चुनावों से पहले इन अंतिम हफ्तों में, सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए इस अधिनियम को लागू करने पर जोर दिया है।

गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी कई भाजपा–आरएसएस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून पेश किए हैं, जो मुसलमानों और ईसाइयों दोनों

को लक्षित करते हैं। भाजपा का घर वापसी अभियान आदिवासियों पर लक्षित है जो उन्हें वर्णाश्रम आधारित हिंदू समाज में शामिल करना चाहता है। भाजपा सरकार तीन तलाक कानून लेकर आई, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाया गया और मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दिया गया। इसके साथ ही, ''लव जिहाद'' अभियान का इस्तेमाल अंतर–धार्मिक विवाहों और महिलाओं के अपना साथी चुनने के अधिकार पर हमला करने के लिए किया गया है। यह अभियान 2017 के चुनावों के लिए यूपी में भाजपा के आधिकारिक एजेंडे का हिस्सा था। भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक रूप से कहा है, ''अगर वे एक हिंदू लड़की लेते हैं, तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को ले जाएंगे'', कई भाजपा शासित राज्यों ने अंतर–धार्मिक विवाह के खिलाफ कानून पारित किए हैं। महिलाओं को घरेलू शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी की धारा 498ए को कमजोर कर दिया गया है और अब इस कानून के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में रहना पड़ता है क्योंकि आरोपियों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई राहत पाना भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आपराधिक कानून संशोधन और डेटा संरक्षण विधेयक के अलोकतांत्रिक कानून में भी निजता और असहमति पर निशाना साधा गया है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के किसी भी विरोध पर अंकुश लगाने की उनकी क्षमता में बहुत खतरनाक हैं। कई महिला कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पहले ही यूएपीए आदि के तहत जेल में डाल दिया गया है।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने से कश्मीरी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों को मिली इंप्यूनिटी का उपयोग करके सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के अंधाधुंध प्रयोग से मणिपुर, नागालैंड आदि में हत्यायें की गयीं। एएफएसपीए को हटाने और निरस्त करने का वादा एक सपना बना हुआ है। दूसरी ओर, सरकारें उन कानूनों पर तेजी से आगे बढ़ती हैं जिन्हें वे पारित करना चाहते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इस साल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ उठाई गई सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सफलतापूर्वक पारित किया है। यह सीधे महिलाओं की स्वायत्तता पर हमला करता है और उन्हें समान अधिकारों से वंचित करता है। भाजपा ने एक बार फिर कहा है कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो वह देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए खतरा है।

दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को निरस्त करने का आदेश दिया, जिसने अब समान यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। निराशाजनक रूप से, समान लिंग विवाह की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने माना है कि नागरिक संघ में समलैंगिक शादी या एक साथ रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसे विधायिका के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है, जो भाजपा का बहुमत होने पर, कतई समलैंगिक विवाहों के पक्ष में नहीं रहेगा। इस कानूनी गैर–मान्यता का मतलब है कि इन जोड़ों को अपने दैनिक जीवन में हिंसा और उत्पीड़न जैसे विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

वर्मा आयोग की सिफारिश के बावजूद वैवाहिक बलात्कार को अभी भी अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कोविड के बाद जबरन बाल विवाह और नाबालिगों की तस्करी में वृद्धि की नियमित रिपोर्टें आई हैं। भाजपा सरकार द्वारा पारित विधेयक इन बढ़ते अपराधों का व्यवहार्य समाधान प्रदान करने में विफल रहा है। एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को भी कमजोर करने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, जिसका कड़ा विरोध किया गया है। पुरूषवादी सत्ता को बदलने वाले किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के दक्षिणपंथी संगठनों के एजेंडे का इस सरकार द्वारा जोरदार समर्थन किया गया है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और हिंसा

2014 के बाद से, इस शासन के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का ग्राफ 2014 से बढ़ने लगा जिसे एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है –

- एनसीआरबी के अनुसार, 2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 52.5 प्रति लाख थी और यह 2019 में बढ़कर 62.4 हो गई। 2021 तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की दर बढ़कर 64.5 प्रति लाख हो गई थी।
- 2014 में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ लगभग 37 अपराध हुए, लेकिन, 2021 तक यह संख्या बढ़कर 49 हो गई थी, यानी 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि।
- लगभग सभी अपराधों के लिए सजा दर केवल 23–25 प्रतिशत के आसपास ही रही है।
- 2021 तक, दैनिक बलात्कारों की संख्या प्रति दिन औसतन 90 से अधिक बनी रही। आदिवासी लड़कियों के बलात्कार की संख्या 2014 में 2.5 प्रति दिन से बढ़कर 2021 में 4 प्रति दिन हो गई। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए इसी अवधि में दैनिक बलात्कार की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई।

- उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक लगातार छह वर्षों तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है। राजस्थान 2019 से 2022 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दूसरे स्थान पर था।
- एनसीआरबी के आंकड़ों में 2017 से बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में 94.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश ने इस श्रेणी में भी सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं, 2022 में दर्ज कुल 63,414 मामलों में से 8,136 मामले दर्ज किए गए हैं।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा–आरएसएस की हिंदुत्व की राजनीति ने विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भयानक वृद्धि की है। इसके अलावा, हिंसा और भी वीभत्स हो गई है और हिंदुत्व ब्रिगेड से जुड़े शक्तिशाली लोग हत्या और बलात्कार जैसे अपराध करने के बावजूद बच रहे हैं। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में असाधारण वृद्धि वाले राज्यों की सूची में सबसे आगे हैं।

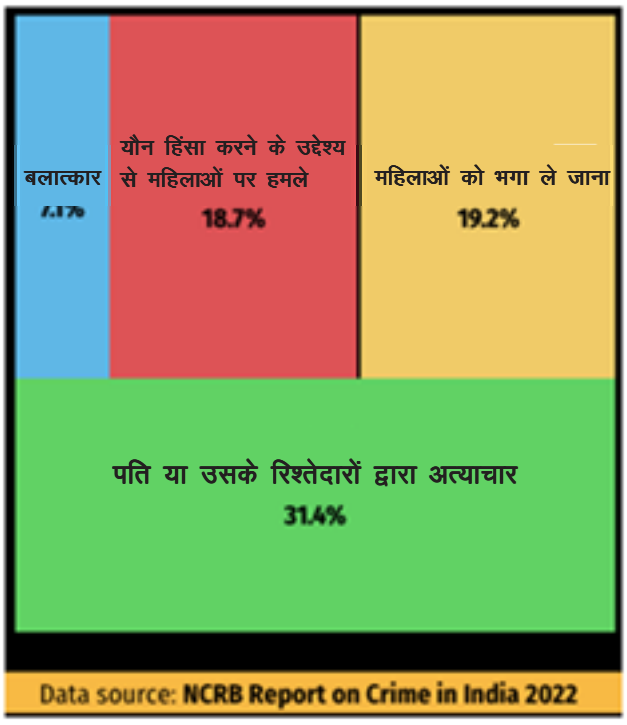

भाजपा–आरएसएस के नेतृत्व वाले शासन के शुरुआती दिनों से, अंतर–धार्मिक और अंतर–जातीय विवाह करने वाले जोड़ों पर संघ परिवार से संबंधित गिरोहों द्वारा हमला किया गया है। 2015 में, 251 ''सम्मान के नाम पर अपराध'' दर्ज किए गए थे और 2018 और 2021 के बीच पिछले तीन वर्षों में यह संख्या 300 हो गई, यानी 40 प्रतिशत की वृद्धि। पंजाब और राजस्थान के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सूची में सबसे ऊपर हैं। इस वृद्धि के लिए विहिप और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा लक्षित हमलों के साथ–साथ खाप पंचायतों के लिए सामाजिक और राजनीतिक समर्थन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भाजपा सरकार ने ''ऑनर किलिंग'' के खिलाफ कानून पारित करने से इनकार कर दिया है, जिसकी एडवा लंबे समय से मांग करती रही है।

हिंसा ने दक्षिणपंथी संगठनों के स्वयंभू रक्षकों की मॉरल पुलिसिंग का स्वरूप ले लिया है। कई स्थानों पर, युवा लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भिन्न लिंग के सदस्यों के साथ पाए जाने पर परेशान किया गया है, शर्मिंदा किया गया है और यहां तक कि पीटा भी गया है। अगस्त 2015 में, मुंबई पुलिस ने उपनगरों के एक होटल से 13 जोड़ों को गिरफ्तार किया, जिसमें दावा किया गया था कि वे ''अभद्र व्यवहार'' में लिप्त थे। तथ्य यह है कि वे वयस्क थे। पुलिस ने बाद में अपनी सीमाओं को ''लांघने'' के लिए माफी मांगी।

दूसरी ओर, कई मामलों में, अपराधी जो या तो भाजपा के सांसद, मंत्री या पदाधिकारी थे, उन पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार और कुछ मामलों में हत्या तक का आरोप लगाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भाजपा के पूर्व सांसद चिन्मयानंद को बचाने का बीड़ा उठाया, जिन पर एक कानून की छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है और उन्नाव के सांसद कुलदीप सेंगर, एक नाबालिग बच्चे के बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं। व्यापक विरोध के कारण कुलदीप सेंगर को जेल में डाल दिया गया है। 2018 में, एक हिंदू पुजारी पर कश्मीर के कठुआ में एक बच्चे के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। बेशर्मी से हिंदू एकता मंच और सरकार के एक मंत्री ने आरोपियों के पक्ष में मार्च निकाला।

लक्षित हिंसा और हिंसा के दोषियों को सजा से मुक्त रखना अन्य राज्यों में भी जारी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंसा के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ स्पष्ट उदाहरण यहां नोट किए गए हैं। मुंबई में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला टीवी एक्टर को उसका पीछा करने वाले ने तीन बार चाकू मार दिया। हरियाणा के बल्लभगढ़

में एक छात्रा की उसके कॉलेज के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने अपहरण के प्रयास का विरोध किया था। एक भयावह घटना में, पंजाब के होशियारपुर जिले के जलापुर गांव में एक छह वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसे आग लगा दी गई। अभियुक्तों को इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में, एक किशोर दलित घरेलू कामगार अपने कार्यस्थल पर मृत पाई गई, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। हिंसा के अपराधियों को मिला हुआ राजनीतिक संरक्षण लगभग सभी राज्यों में स्पष्ट है जहां दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर बढ़ रही है।

पत्रकारों, वकीलों और अन्य लोगों के यौन उत्पीड़न के हाई प्रोफाइल मामले भी हैं, जिनमें तहलका मामला एक उदाहरण है। यूपी के एक शक्तिशाली भाजपा सांसद और पहलवान संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है लेकिन उन्हें भाजपा द्वारा संरक्षित किया गया है।

सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा–आरएसएस के राजनीतिक आधार के विस्तार के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है, और इसका अल्पसंख्यक समुदायों की

महिलाओं, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सत्ता में आने के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदुत्व के गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाया है। यह सर्वविदित है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान महिलाओं को भयानक अपराधों का सामना करना पड़ा, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में सत्ता में रहते हुए भाजपा लक्षित दंगों के माध्यम से धार्मिक विभाजन पैदा करके देश भर में उसी रणनीति को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि दिल्ली (2020), मणिपुर (2023), नूंह (2023) में हिंसा में देखा गया। महिलाओं ने अपमान महसूस किया है, उनकी गरिमा छीन ली गई है, और इस हिंसा के परिणामस्वरूप उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। जबकि उनमें से कुछ को राहत शिविरों में धकेल दिया गया है, अन्य लोग दस्तावेजों की कमी के कारण बिना किसी राहत के बेसहारा हो गए हैं।

सांप्रदायिक लक्ष्यीकरण के दौरान यौन हमले आम हो गए हैं। मणिपुर में नग्न कुकी महिलाओं की परेड के वायरल वीडियो का एक परेशान करने वाला मामला है। बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दोशियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से उन्हें वापस जेल भेजना पड़ा था। नरोदा पाटिया, जहां रक्तरंजित यौन उत्पीड़न हुए थे, मामले के अधिकांश दोषी गुजरात सरकार या बजरंग दल से जुड़े हुए थे और उन्हें जमानत पर रहने के बावजूद जेल से रिहा कर दिया गया था।

नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश और गोविंद पानसरे की प्रायोजित हत्याओं के साथ हिंदुत्व आतंक को खुली छूट दी गई है, जिन्होंने हिंदू संगठनों के कार्यों और विचारधारा पर सवाल उठाए थे। उनके हत्यारे अभी भी फरार हैं। जुनैद, अखलाक और उमर खान जैसे नौजवानों की मॉब लिंचिंग या गोरक्षक भीड़ द्वारा की गयी हत्याओं के बाद उनके परिवार की महिलायें आज भी हवालदिल होकर न्याय की तलाश में हैं। मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करके बेदखली का काम भाजपा शासित प्रदेशों में किया जा रहा है, विशेष रूप में आसाम में जहां मुस्लिम परिवारों को जमीनों से ही बेदखल किया जा रहा है।

आदिवासियों के बीच सांप्रदायिक विभाजन भड़काने के प्रयास भी स्पष्ट हैं। संघ परिवार लगातार यह अभियान चला रहा है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण आदि का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदुत्व ब्रिगेड द्वारा चर्चों में नियमित रूप से तोड़फोड़ की जा रही है। एक अनुमान से पता चलता है कि हाल के मणिपुर दंगों के दौरान 240 चर्च नष्ट कर दिए गए थे। आदिवासियों को एक दूसरे के खिलाफ और गरीब मुस्लिम किसानों के साथ लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है।

यह स्पष्ट है कि इस सरकार का रिकॉर्ड सभी आर्थिक मोर्चों पर निराशाजनक और महिलाओं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले सामाजिक हिस्सों के लिये खतरनाक रहा है। जिस हिंदुत्व राश्ट्र का वे निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आर्थिक विकास, समान अधिकार या महिलाओं के लिए आत्मनिर्णय के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बजाय, वे एक ''हिंदू महिला'' की पहचान का निर्माण करते हैं जो महिलाओं के भीतर गहरा ध्रुवीकरण करते हैं। इस तरह की महिलाओं के ये महिला समूह दक्षिणपंथी संगठनों के जबर्दस्त समर्थक के रूप में उभर रहे हैं। इसका मुकाबला करना लोकतांत्रिक महिला संगठनों के लिए सबसे बड़ी उभरती चुनौतियों में से एक है।

कारपोरेट–समर्थक–साम्प्रदायिक भाजपा–आरएसएस, घृणा की राजनीति को परास्त करें और संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों

आगामी 2024 के चुनावों के लिए, भाजपा–आरएसएस ने हमें गुमराह करने के लिए एक नया नारा तैयार किया है। अब प्रधानमंत्री ''मोदी की गारंटी'' इसे वादे के तौर पर हर चीज को बेहतर बनाने की बात करते हैं। जबकि उनके शासन में भारतीय महिलाओं को सबसे ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा है। लोगों को लूटना और उनके कारपोरेट मित्रों को समृद्ध करना भाजपा का एजेंडा रहा है। दमन और असहमति व्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमले रोजमर्रा की बात हो गयी है। ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और जाति के इस्तेमाल ने हमारे देष के सामाजिक ताने–बाने को नुकसान पहुंचाया है। प्रतिगामी मनुवादी विचारधारा के प्रचार से महिला आंदोलन के लाभों पर पानी फिर जाने का खतरा है। आइए हम गरीबी, बेरोजगारी, भूख और हिंसा से मुक्ति और समानता के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों।

भाजपा को हराएं! धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताकतों का चुनाव करें! भारत की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें!

कीमत : 10.00 रु. **15 मार्च, 2024**

मरियम धवले, महासचिव, एआईडीडब्ल्यूए, द्वारा 2253–ई, न्यू रंजीत नगर, शादी खामपुर, नई दिल्ली 110008 से प्रकाशित। फोन 011–25700476, 25709565. प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए –21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली –11009 में मुद्रित